

भूदान-यज्ञ

भूदान-यज्ञ मूलक ग्रामोद्योग प्रधान अहिंसक क्रान्ति का सन्देशवाहक—साप्ताहिक

सर्व सेवा संघ का मुख पत्र
 वर्ष : १५ अंक : ४७
 सोमवार २५ अगस्त, '६६

अन्य पृष्ठों पर

भीड़ की राजनीति,	
हमारे नये राष्ट्रपति	—सम्पादकीय ५८६
राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है ?	५८७
सम्पादक का पत्र : आपके नाम	५८८
कश्मीर की क्रान्ति	
	—जयप्रकाश नारायण ५८९
सर्वोदय-आन्दोलन में सरकारी सेवकों का सहयोग	—विनोबा ५९३
वंशाली-गोष्ठी के कुछ प्रमुख निर्णय और सुझाव	५९७

अन्य स्तम्भ

आन्दोलन के समाचार

वाराणसी जिलादान

उत्तर प्रदेश ग्रामदान-प्राप्ति समिति के संयोजक श्री कपिल भाई द्वारा प्रेषित तार-सूचना के अनुसार वाराणसी का जिलादान पूर्ण हो गया। यह उत्तर प्रदेश का तीसरा जिलादान है। इसके पूर्व उत्तरकाशी और बलिया का जिलादान सम्पन्न हो चुका है।

सम्पादक
 विनोबा

सर्व सेवा संघ प्रकाशन,
 राजघाट, वाराणसी-१ उत्तरप्रदेश
 फोन : ४२८५
 www.vinoba.in

कांग्रेस : संगठन और नेतृत्व

हमारी भीतरी कठिनाई यह है कि हमारी कांग्रेस के रजिस्टर ऐसे सदस्यों से भरे पड़े हैं, जो यह जानकर बड़ी संख्या में भरती हो गये हैं कि कांग्रेस में घुसने का अर्थ सत्ता हासिल करना है। इस कारण जो पहले कांग्रेस में शामिल होने का कभी विचार भी नहीं करते थे वे भी अब उसमें आ गये हैं और उसे नुकसान पहुँचा रहे हैं, इसलिए कि शायद वे स्वार्थ की भावना से प्रेरित होकर इसमें आये हैं। जो लोग स्वार्थ की भावना से भी आते हैं तो लोकवादी संस्था में उन्हें आने से कैसे रोका जा सकता है ? और जबतक हमारा संगठन इतना मजबूत नहीं हो जाता कि सबल लोकमत के दबाव से ही ऐसे लोग बाहर रहने पर मजबूर हो जायँ, तबतक हम उन्हें कांग्रेस में आने से रोक नहीं सकते।

और जबतक प्रारंभिक सदस्यों के साथ हमारा सम्पर्क सिर्फ वोट की खातिर ही रहेगा तबतक बुद्धि और बल भी नहीं आ सकता। कांग्रेस में कोई अनुशासन नहीं है। लोग दलों में बँटे हुए हैं और उनमें लड़ाई-झगड़े हैं। स्वयं अपने भीतरी संगठन के बारे में हमें अहिंसा रखने की आवश्यकता नहीं मालूम होती। मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ, मुझे यही शिकायत सुनाई देती है। प्रजातंत्र तो मेरी कल्पना में ऐसे दलों का निर्माण नहीं है, जो आपस में इस हद तक लड़ते-झगड़ते रहें कि उससे संगठन ही नष्ट हो जाय। और फिर हमारी संस्था तो लोकवादी और लड़ाकू, दोनों ही है। हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जब हम एक सेना के रूप में आगे बढ़ते हैं तो हम लोकवादी नहीं रहते। बतौर सिपाही के तब हमें सेनापति से आदेश लेना पड़ता है और उसे बिना किसी हिचकिचाहट के मानना पड़ता है। सेना में तो जो कुछ सेनापति कहे, वही कानून होता है। मैं आपका सेनापति हूँ। इसका यह मतलब नहीं कि मैं आपको अपनी भावनाओं के बारे में अन्धकार में रखूँ। लेकिन मुझे अपने जैसा कमजोर सेनापति की मिसाल इतिहास में नहीं मिलती। मेरे पास कोई अधिकार नहीं है। मेरा एकमात्र बल आपका प्रेम है। एक प्रकार से यह बड़ी भारी चीज है; लेकिन दूसरी प्रकार से वह निरर्थक भी है। मैं कह सकता हूँ कि मेरे दिल में सबके लिए प्रेम है। शायद आप भी ऐसा ही करते हों, लेकिन आपका प्रेम क्रियात्मक होना चाहिए। आपको आजादी की प्रतिज्ञा में बतायी गयी शर्तों को पूरा करना चाहिए। मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि अगर आप उन शर्तों को पूरा नहीं कर सकते तो मेरे लिए आन्दोलन शुरू करना संभव न होगा। आपको कोई और सेनापति तलाश करना होगा। आप मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ अपना नेतृत्व करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते।



मो. ५०११५

भीड़ की राजनीति

राष्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेस के अनेक विधायकों ने कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया; यह कहकर वोट नहीं दिया कि उसे वोट देना उनकी अन्तरात्मा के खिलाफ था। उनकी अन्तरात्मा की पुकार थी कि श्री गिरि को वोट दिया जाय। शायद एक भी कांग्रेसी विधायक ऐसा नहीं रहा होगा जिसकी अन्तरात्मा ने यह कहा हो कि श्री गिरि और श्री रेड्डी को छोड़कर श्री देशमुख को वोट देना चाहिए। अन्तरात्मा सिर्फ दो तक सीमित थी। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि दल के निर्णय के बाद दलवालों के मन में अपने दल का निर्णय न मानने, और अन्तरात्मा का सवाल उठाने की बात पैदा क्यों हुई? क्या दलगत राजनीति का कोई दल अन्तरात्मा पर चलता है, या चल सकता है? यह कौतुक हुआ कैसे? प्रधानमंत्री

कोई आये, कोई जाये, यह उसने महत्त्व की बात नहीं है, बितने महत्त्व की यह है कि देश की सारी राजनीति कहाँ जा रही है। स्वतंत्रता के पहले राजनीति देश की थी, उसके बाद दलों की हुई, और अब? सचमुच अब कोई दल ऐसा रह नहीं गया जो अपने विचार, सिद्धान्त और कार्यक्रम पर खड़ा हो, और जो एक बार अपने वोट-जजमानों को ताराज करके भी उनके कल्याण की कामना कर सकता हो। समाज को सही नेतृत्व देने का साहस किस दल में है? जिन्हें हम दल समझते हैं वे व्यक्ति-गत, जाति-गत या वर्ग-गत गुटों की खिचड़ी मात्र हैं। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि हमारी राजनीति अब दल की न रहकर 'भीड़ की राजनीति' (मैस-पालिटिक्स) बन रही है; बल्कि यह कहा जाय कि बन चुकी है, और उसी दिशा में तेजी के साथ बढ़ रही है।

कौन सोचता है—किसे फुसत है सोचने की—कि लोकतंत्र का यह रूप कितना खतरनाक है? भीड़ की राजनीति हमारे बचे-खुचे लोकतंत्र को भी खा जायगी। गांधी ने कोशिश की थी, जिसे नेहरू ने किसी हद तक कायम रखा, जनता की चेजना में विवेक

हमारे नये राष्ट्रपति

श्री गिरि हमारे नये राष्ट्रपति। उनका हृदय से स्वागत! हम उनके शतायु होने की कामना करते हैं। अब यह सोचने का समय नहीं है कि कौन हारा, कौन जीता, क्यों हारा, क्यों जीता। इतना जानना काफी है कि नये राष्ट्रपति चुन लिये गये। इस नाते वह हम सबके, हर भारतीय नागरिक के, प्रारंभ और सम्मान के अधिकारी हैं। जो पद हमारी राष्ट्रियता का प्रतीक है, वह इस तरह दल-बन्दी के दलदल में घसीटा जाय, यह न शोभनीय है, और न भविष्य के लिए शुभ। उनका चुनाव तो राष्ट्र की आम सम्मति (कन्सेन्सस) से ही होना चाहिए था। अगर राष्ट्रपति और राजनीतिक सींचवान का अधिकार बनाया जायगा तो वह राष्ट्रपति न रहकर दलपति की कोटि में आ जायगा। तब उससे पक्षों के बीच रहते हुए भी पक्ष-भ्रुक्ति की जो अपेक्षा है वह कभी पूरी नहीं होगी, और स्वयं संविधान का सही ढंग से चलना संभव नहीं रह जायगा। संविधान को बदलना एक बात है, किन्तु उसे रखना और दलगत संघर्ष का साधन बनाना देश का घोर अहित करने-जैसा होगा।

राष्ट्रपति के अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में मतभेद है, और होने की गुंजाइश है। संविधान की बात संविधानिक ढंग से हल होनी चाहिए। लेकिन एक बात स्पष्ट है। प्रधानमंत्री देश का होते हुए भी दल का रह जाता है, किन्तु राष्ट्रपति को राष्ट्र का ही रहना पड़ेगा। इस बारे में श्री गिरि ने राष्ट्र को आश्वासन दिया है। आशा है वह पूरे तौर पर पूरा होगा।

कहती हैं कि यह सवाल इसलिए उठा क्योंकि कांग्रेस संसदीय दल में निर्णय हमेशा 'कन्सेन्सस' से होता था, किन्तु इस बार राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार बहुमत से तय किया गया। उनकी राय में यही जड़ थी जिससे मन में दरार पैदा हुई और बाद की 'वोट की स्वतंत्रता' की पुकार उठी। अगर प्रधानमंत्री की बात सही हो तो पिछले दिनों का सारा विवाद 'कन्सेन्सस' और 'काण्ड' को लेकर खड़ा हुआ है, जिसके परिणाम क्या-क्या होंगे, अभी कहना कठिन है। इतना तो साफ दिखाई देता है कि कांग्रेस आज तक जैसी थी वैसी आगे नहीं रहेगी, और उसके साथ वह मिली-जुली मध्यम-मार्गीय राजनीति भी नहीं रहेगी जिसका प्रतिनिधित्व कांग्रेस किसी-न-किसी रूप में अबतक करती आ रही थी। राष्ट्रीय कांग्रेस गांधी के साथ गयी; दलीय कांग्रेस नेहरू के साथ गयी; गुटों की कांग्रेस का अब क्या होगा?

भरने की, उसके उत्साह में संयम लाने की, और उसकी सक्रियता को सही दिशा देने की। गांधी ने जनता के दूटे, बुके, विलों में शक्ति फूँकी थी, और मिट्टी के शेर बनाये थे, क्योंकि गांधी में साहस था मौका पड़ने पर जनता से यह कहने का कि तुम गलत हो। आज यह साहस किसमें है, सिवाय एक अकेले जयप्रकाश नारायण के? आज तो हमारी राजनीति निरी सत्ता की उपासना और वोट की सौदागरी बन गयी है। परिणाम यह है कि भीड़ चाहे जो करे, विद्यार्थी, मजदूर, या दूसरे चाहे जो कहें, सब ठीक है, बशर्ते वे नेता की जयजयकार करते रहें और उसे वोट देते रहें। कहाँ पहुँच गया यह देश गांधी के दिनों से? गांधी ही नहीं, नेहरू के दिनों से। नेता बहुत हैं लेकिन जनता नेतृत्वविहीन है; कमजोर, खोयी हुई, और दिशाहीन है।

कहा जाता है कि समाजवाद का रथ इसी रास्ते से आगे बढ़ता

है। क्या सचमुच ? हर दल का अपना-अपना समाजवाद है। लेकिन एक बात में सभी दल सहमत हैं कि समाजवाद के लिए सरकार पर अपनी सत्ता रखना जरूरी है। भले ही यह समाजवाद न होकर सरकारवाद हो या सत्तावाद हो, लेकिन यह एक रास्ता है जिस पर सभी चल रहे हैं। अगर सभी समाजवादी हैं तो क्या यह संभव नहीं है कि सब एकसाथ बैठकर कुछ ऐसे मुद्दे तय कर लें जिन्हें समाजवाद की पहली किस्त में लागू किया जा सके ? निश्चित रूप से विभिन्न दलों के घोषणा-पत्रों के आधार पर ऐसा कार्यक्रम बनाया जा सकता है। किन्तु यह तभी हो सकता है जब हमारे नेता सत्ता की पूजा को कान्शंस और भीड़ की उत्तेजना को अपने लिए कन्सेंसस मानना छोड़कर सिर्फ लोक-हित की बात सामने रखकर बैठें। क्या नेताओं से इतना भी न होगा ?

कांग्रेस 'सिन्डिकेट' और 'इन्ड्रिकेट' (नया नाम) में बँट जायगी तो देश की राजनीति में निखार आ जायगा, और जनता आसानी के साथ अपने लिए रास्ता चुन सकेगी, यह सोचना भ्रम है—बहुत-बड़ा भ्रम है। समाजवाद का रास्ता तब साफ होगा जब वह समाज से शुरू होगा; दलों का समाजवाद सरकारवाद के जंगल में फँसकर रह जायगा। इसीलिए ग्रामदान-आन्दोलन गाँव-गाँव से शुरू होनेवाले समाजवाद की दिशा में प्रयत्न कर रहा है।

जिस तेजी के साथ हमारी राजनीति में 'भीड़' (माव-पावर) का प्रवेश हो रहा है उसे देखते हुए यह आशंका होती है कि हमारे

नेता देश को अनियंत्रित हिंसा के हाथ में सौंपना चाहते हैं—शायद अनजान में।

उपद्रव-प्रिय जनता और सत्ता-प्रिय नेता, जब इन दोनों का मेल हो जाता है, तो एक की अस्थिरता और दूसरे की विफलता के संयोग से हिंसा का जन्म होता है। विचार-प्रेरित, संयमित, संगठित, हिंसा ने दुनिया में बहुत कुछ किया है, लेकिन हमारी राजनीति तो अंधी, बर्बर, हिंसा को बढ़ावा दे रही है। कहीं इस तरह जनता की वह शक्ति बनती है जिससे एक नया समाज उभरता है, जीवन के नये मूल्य स्थापित होते हैं ? अगर जनता की 'कान्शंस' ऊपर न उठे, और नये मूल्यों के लिए उसका 'कन्सेंसस' न मिले तो क्या बनेगा देश, और कहाँ रहेगा समाजवाद ? भीड़ के नेता में कान्शंस कहीं, और नेता की भीड़ में कन्सेंसस कहीं ?



उन्माद × भीड़ = वर्तमान भारतीय राजनीति

राष्ट्रपति-चुनाव कैसे होता है ?

१. संविधान की धारा ५४ के अनुसार राष्ट्रपति एक निर्वाचन-मंडल (इलेक्टरल कालेज) द्वारा चुना जायगा जिसमें (क) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और (ख) राज्यों की विधान-सभाओं के निर्वाचित सदस्य वोटर होंगे। यह भी है कि जहाँ तक सम्भव होगा राष्ट्रपति के चुनाव में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व समान होगा।

२. विधान-सभाओं और संसद का हर 'वोटर' कितने वोट दे सकेगा उसका निर्णय इस प्रकार होता है :

राज्य की कुल जन-संख्या में उस राज्य की विधान-सभा के सदस्यों की टोटल संख्या से भाग दीजिए। जो भागफल आये उसमें १००० का भाग दीजिए। जितनी बार १ हजार जाये उतने वोट एक 'वोटर' के होंगे।

यही बात इस तरह कही जा सकती है :

मान लीजिए, राज्य की जन-संख्या ५ करोड़ है, और उस राज्य की विधान-सभा

के चुने हुए (कुछ नामजद सदस्य भी होते हैं) सदस्यों की संख्या ३ सौ है, तो ५ करोड़ में ३०० से भाग दीजिए। भागफल आया १६६६६६। अब इसमें १००० से भाग दीजिए। आया १६६। तो एक सदस्य के १६६ वोट हुए।

३. संसद के दोनों सदनों के हर निर्वाचित सदस्य के कितने वोट होंगे ? सब राज्यों की विधान-सभाओं के सब निर्वाचित सदस्यों के कुल जितने वोट होंगे उनके टोटल में संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या के टोटल से भाग दीजिए। जो आये वही संसद के एक सदस्य के वोट की संख्या होगी।

४. विभिन्न राज्यों के एम० एल० ए० लोगों के वोटों का मूल्य भिन्न-भिन्न होता है। नीचे की तालिका से यह स्पष्ट होगा :

राज्य	एम० एल० ए० की संख्या	एक वोट का मूल्य
प्रांथ प्रदेश	२८७	१२५
असम	१२६	६४
बिहार	३१८	१४६
गुजरात	१६८	१२३

हरियाणा	८१	६४
जम्मू और कश्मीर	७५	५६
केरल	१८३	१२७
मध्यप्रदेश	२६६	१०६
महाराष्ट्र	२७०	१४६
मैसूर	२१६	१०६
नगालैण्ड	५२	७
उड़ीसा	१४०	१२५
पंजाब	१०४	१०७
राजस्थान	१८४	११०
तमिलनाडु	२३४	१४५
उत्तरप्रदेश	४२५	१७५
पश्चिम बंगाल	२८०	१२५

५. इस चुनाव में कुल १७ राज्यों के एम० एल० ए० लोगों के वोटों की संख्या ४ लाख ३० हजार ८ सौ ४७ थी। यही संसद के निर्वाचित सदस्यों के कुल वोटों का टोटल मूल्य भी है। राज्यों और केन्द्र के वोटों में समानता ही, इसलिए ४,३०,८४७ वोट संसद के ७४८ निर्वाचित सदस्यों (लोकसभा ५२० + राज्यसभा २२८) में बराबर-बराबर बाँट दिये गये। इस तरह हर एम० एल० के एक वोट का मूल्य ५७६ हुआ।

६. संविधान के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव 'एकल संक्रमणीय सानुपातिक प्रतिनिधित्व मत-प्रणाली' (सिस्टम आफ प्रपोर-शनल रिप्रेजेन्टेशन बाई मीन्स आफ दी सिंगल ट्रान्सफरैबुल वोट) से होता है।

इस सानुपातिक प्रणाली का अर्थ क्या है ? इसे आमतौर पर वैकल्पिक वोट (आल्टर-नेटिव वोट) कहते हैं। उदाहरण के लिए :

मान लीजिए कि वैलिड वोटों की संख्या १५ हजार है, और क, ख, ग, घ चार उम्मीदवार हैं जिन्हें ये वोट मिले हैं—

क ५२५०, ख ४८००
ग २७००, घ २२५०

सामान्य रूप से बहुमत के आधार पर क को निर्वाचित मानना चाहिए, लेकिन वैकल्पिक वोट की पद्धति में ऐसा नहीं होता। 'सेकेंड प्रेफरेंस' का उम्मीदवार 'फर्स्ट प्रेफरेंस' का बहुमत प्राप्त करनेवाले उम्मीदवार के मुकाबिले विजयी हो सकता है। विजय इस नियम के अनुसार तय की जाती है :

$$\frac{१५,०००}{१+१} + १ = ७५०१$$

सानुपातिक पद्धति (प्रपोरशनल प्रेजेन्टेशन) में ७५०१ वोटों से कम पानेवाला विजयी नहीं माना जायगा। इसका अर्थ यह है कि विजय के लिए ७५०१ या उससे अधिक फर्स्ट प्रेफरेंस वोट मिलने चाहिए। लेकिन ऊपर के उदाहरण में क, ख, ग, घ में से किसीको इतने वोट नहीं मिले हैं इसलिए दूसरे, तीसरे, चौथे प्रेफरेंस को गिना जायगा— उस वक्त तक जब तक कि ७५०१ का कोटा पूरा न हो जाय।

७. प्रेफरेंस के वोट कैसे गिने जाते हैं ? जिस उम्मीदवार के सबसे कम वोट होते हैं वह छांट दिया जाता है, और उसके बैलट पेपर (मतदाता-पत्र) देखे जाते हैं। उनमें अगर दूसरे उम्मीदवारों के लिए कुछ वोट होते हैं तो वे वोट उन उम्मीदवारों के वोटों में जोड़ दिये जाते हैं। इस तरह अगर किसी उम्मीदवार का कोटा पूरा हो जाता है तो वह विजयी माना जाता है।

यह छंटनी उस वक्त तक होती रहेगी जबतक कि कोटा पूरा न हो जाय, या छांटते-छांटते एक अन्तिम उम्मीदवार न बच जाय।

सम्पादक का पत्र : आपके नाम

प्रिय साथी,

आप जानते हैं कि हमारे आन्दोलन के ये दो संदेशवाहक, 'भूदान-यज्ञ' और 'गाँव की आवाज' वरसों से कितनी प्रतिकूल परिस्थितियों में अपना काम करते जा रहे हैं। लेकिन समुचित पोषण के न मिलने पर कब तक कर सकेंगे, या जैसा काम करना चाहते हैं वैसे कैसे कर सकेंगे ? बीस-पचीस हजार रुपये साल का घाटा उठाकर हम चल नहीं सकते। सफेद कागज की जगह मटमैला कागज आपको अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन हम क्या करें ? ग्राहक सीमित हों, और मंहगाई बढ़ती जाय, तो खर्च में कटौती करनी ही पड़ती है। हम मानते हैं कि आप हमारी इस मजबूरी को जरूर बदायित करेंगे। न्यूजप्रिन्ट कागज से खर्च में कमी आयी है। लेकिन यह कमी भी काफी नहीं होगी, अगर ग्राहक-संख्या न बढ़ी, और विज्ञापन न मिले। इसलिए हम अपने बड़े परिवार के हर सदस्य से, चाहे वह हमारा पाठक हो, या आन्दोलन का मित्र, अनुरोध करेंगे कि हमारी मदद करे। एक-दो-चार जितने ग्राहक बना सकता है बनाये, और अगर कोई विज्ञापन (जो हमारे लिए निर्दोष हो) प्राप्त कर सकता है तो प्राप्त करे। 'गाँव की आवाज' अब अलग निकलने लगी है। यह आवाज हर गाँव में पहुँचनी चाहिए। खासकर कोई ग्रामदानी गाँव तो ऐसा रहना ही नहीं चाहिए जहाँ ग्राम-स्वराज्य की आवाज न पहुँचे। जो पहले गाँव की सिर्फ बात थी वह अब आवाज बन गयी है; जो आज आवाज है, वह पुकार बनेगी और वह दिन भी दूर नहीं है जब 'गाँव की आवाज' सलकार बनकर सारे देश में अपनी गूँज फैला देगी। हम जीयेंगे, मरेंगे, लेकिन आरोहण के इस आन्तिकारी संकल्प से नहीं डिगेंगे। जिस संकल्प में हम-आप, दोनों शरीक हैं उसमें एक को दूसरे का भरपूर सहयोग मिलना चाहिए। बता-इए, कितने ग्राहक बनाइएगा, और कब तक ?

जय जगत् !

आपका साथी,

यमशक्ति

ऊपर लिखे उदाहरण में सबसे पहले 'घ' छूटेगा। उसके २२५० मत-पत्रों में जितने सेकेंड प्रेफरेंस वोट हैं वे 'क', 'ख', 'ग' को दे दिये जायेंगे—जिसको इतने मिलेंगे। मान लीजिए, इन मत-पत्रों में सेकेंड प्रेफरेंस वोट इस प्रकार हैं :

क १००, ख १०५०, ग १००। ये इस प्रकार जोड़े जायेंगे :

$$\begin{aligned} क ५२५० + ३०० &= ५५५० \\ ख ४८०० + १०५० &= ५८५० \\ ग २७५० + १०० &= ३६०० \end{aligned}$$

जाहिर है कि इस बार भी कोटा पूरा नहीं हुआ, इसलिए ग छूटेगा, और उसके ३६०० वोट क और ख में थर्ड प्रेफरेंस वोटों के आधार पर बँटेंगे।

मान लीजिए कि ३६०० मत-पत्रों में क और ख के पक्ष में वोट क्रम से १७०० और १९०० हैं, जोड़ने पर ये वोट आते हैं :

$$\begin{aligned} क ५५५० + १७०० &= ७२५० \\ ख ५८५० + १९०० &= ७७५० \end{aligned}$$

इस तरह ख विजयी घोषित हो जायगा, क्योंकि उसने ७७५० का कोटा पूरा कर लिया। अब फोर्थ प्रेफरेंस वोट गिनने की जरूरत नहीं है।

यद्यपि ख को क से फर्स्ट प्रेफरेंस वोट कम मिले थे, फिर भी ख विजयी हुआ क्योंकि उसे सेकेंड प्रेफरेंस वोट अधिक मिले। इस विजय-गणना का तर्क यह है कि ख को क की अपेक्षा ज्यादा मतदाताओं ने पसन्द किया है, इसलिए उसे चुनाव जीतना चाहिए। •

करुणा की क्रान्ति

अगर कानून से क्रान्ति संभव नहीं है, हिंसा से संभव नहीं है, तो क्या तीसरा कोई रास्ता है? मुझे लगता है कि तीसरा रास्ता है, और इस गांधी के देश में किसीको हक नहीं है यह कहने का कि तीसरा रास्ता नहीं है। तीसरा रास्ता अहिंसा का हमें दीखता है। गांधीजी रहते तो किस प्रकार से समाज का परिवर्तन करते यह मालूम नहीं है। कुछ बात तो मालूम हैं, जो इस गांधी-जन्म-शताब्दी वर्ष में हमें ध्यान में लानी चाहिए। इस बात को सब लोगों ने ध्यान में रखा है। गांधीजी ने यह नहीं कहा कि स्वराज्य हो गया तो हमारा काम पूरा हो गया। हमारा काम शुरू हुआ यह कहा। और, इस काम को पूरा करने के लिए वह ७६ वर्ष का बूढ़ा आदमी कह रहा है कि 'मैं २२५ वर्ष जीना चाहता हूँ नया समाज बनाने के लिए, नये भारत के निर्माण के लिए' जिसे स्वयं उन्होंने 'सर्वोदय' नाम दिया था।

गांधीजी क्या करते ?

गांधीजी ने सर्वोदय के निर्माण के लिए एक बात स्पष्ट की है कि यह काम हमें सत्ता के द्वारा नहीं करना है। सत्ता इसका माध्यम नहीं बनेगी, सत्ता इसका साधन नहीं होगी। जो हम काम करना चाहते हैं, वह करेंगे तो सत्ता हमारे पीछे आयेगी। वह जानते थे कि सत्ता के हाथों से सर्वोदय का निर्माण नहीं होगा। वह चाहते थे कि स्वराज्य के बाद एक जमात खड़ी करें और उस जमात के द्वारा यह काम हो। गांधीजी ने समाज-परिवर्तन का जो तरीका अपनाया, उसके लिए उन्होंने बताया कि जनता के सामने हम नये समाज के लिए विचार रखें, जीवन के नये मूल्य रखें। जनता को समझाकर हम उसको इस नये विचार के ऊपर, इन नये मूल्यों के ऊपर, इन नये आदर्शों के ऊपर आचरण करावें। अगर बहुत बड़ी संख्या में आचरण हो तो इस आचरण से समाज बदलेगा, बदलने की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी।

दूसरी बात, अब इस विचार का प्रसार करना है तो इसके लिए सेना चाहिए। इसलिए

गांधीजी ने लोकसेवक संघ का निर्माण करना चाहा और अगर संभव हो तो कांग्रेस का ही वे रूपान्तर करना चाहते थे। २६ जनवरी, १९४८ उनके जीवन का बहुत ही व्यस्त दिवस था। फिर भी कांग्रेस की कार्यकारिणी ने उनसे कहा था कि आप जो बात कहते हैं कांग्रेस के रूपान्तर की, कांग्रेस का एक नया निर्माण आपके ध्यान में जो हो, वह आप सामने रखिए, वह 'ड्राफ्ट' कर दीजिए। दिन भर के सब काम से निवृत्त होकर रात को बैठकर गांधीजी ने वह दस्तावेज तैयार किया, जिसे प्यारेलालजी ने 'गांधीजी का वनीयतनामा कहा।' अब गांधीजी होते, उस पर चर्चा होती, उसका क्या रूप बनता, मालूम नहीं। शायद वह यह चाहते थे कि कांग्रेस का नाम इतिहास में अमर इस माने में रहे कि इस संस्था ने भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी। यह संस्था कोई राजनीतिक

जयप्रकाश नारायण

दल नहीं थी, यह संस्था भारत की आजादी की शान्तिमय सेना थी। इसलिए वे कांग्रेस का नाम बदल देना चाहते थे, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस रूपान्तरित हो लोक-सेवक संघ में। अगर वह होता तो कितने गौरव की बात होती हम सब लोगों के लिए, जो कांग्रेस के भूँडे के नीचे आजादी की लड़ाई लड़ चुके और आज इस दल को मानते नहीं! और इस दल से जो दुःख होता है, क्लेश होता है वह नहीं होता।

तीसरी बात यह है कि सेवकों का सात लाख का वह एक संगठन खड़ा करना चाहते थे। फिर नया आन्दोलन करना चाहते थे नवयुवकों को और आजादी के सिपाहियों को, और वे चाहते थे कि ये सब सेवक लोग रचनात्मक कार्यक्रम लेकर जायेंगे और जनता की सेवा करेंगे। इस सेवा के द्वारा जनता को समृद्ध करेंगे, जागृत करेंगे। उसको अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। उनमें आत्मविश्वास डालेंगे। रचनात्मक संस्थाओं के सेवकों के लिए उन्होंने लिखा है कि लोकसेवकों का एक

काम यह भी रहेगा कि जिस क्षेत्र की वह सेवा कर रहा है वहाँ की मतदाता की सूची लेकर वह देखेगा कि किसका नाम छूट गया है, कौन भूटा नाम है, कौन मर गया है। इस प्रकार से लोकसेवक प्रत्येक मतदाता से सम्पर्क पैदा करेगा। वे वहाँ तक पहुँचना चाहते थे। उसके बाद क्या-क्या और कार्यक्रम वे रखते, भगवान जाने! लेकिन ये तीन बातें तो स्पष्ट हैं। अब यह सारा होता, लोक-सेवक संघ का निर्माण होता, सेवा के क्षेत्रों का विस्तार होता, लाखों लोक-सेवक होते, गांधीजी उसके सेनापति होते, और उनके सेनापति होने से, वह जो अध्यात्म की अपूर्णता होती है, उसकी भी पूर्णता होती, नया विचार लोगों के सामने रखा जाता, यह सारा चलता। फिर गांधीजी क्या करते? उनकी यह प्रतिभा थी, ऐसा कोई जन-सम्पर्क (मास-एकशन) का सरल कार्यक्रम निकालते कि लाखों-करोड़ों आदमी उस पर अमल करते और इन लाखों-करोड़ों के अमल करने से परिवर्तन होता। तो यही नहीं मालूम है कि कौनसा कार्यक्रम वह रखते। वह इतिहास के गर्भ में है।

गांधी के अनुयायी गांधी को भूल गये

लेकिन यह कोई कहे कि गांधीजी सर्वोदय-समाज का निर्माण कैसे करते, यह मालूम नहीं है तो यह गलत बात है। उनकी जो बुनियादी मुख्य बातें हैं, वे मालूम हैं। बहुत-से लोग पूछते हैं हमसे, कि दुनिया में ऐसा कभी हुआ नहीं कि एक क्रान्तिकारी नेता था, और उसने अपने जीवन में इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की, अकस्मात् उसके दुनिया से उठ जाने पर रास्ता बदल गया। यह क्यों हुआ? संविधान बना, योजनाएँ बनीं, कानून बनें, सारा प्रशासन बदला, लेकिन गांधीजी के रास्ते तो हुआ नहीं। संविधान बन रहा था, तो गांधीजी ने ध्यान भी नहीं दिया। एक आदमी ने लिखा गांधीजी को कि अब करीब-करीब भारत का संविधान बन चुका है, और बड़ी खेद की बात है कि उस संविधान में आपके ग्रामस्वराज्य का बिक्रम तक नहीं है। तो गांधीजी ने 'हरिजन' में बिक्रम करते हुए कहा कि एक मित्र ने ऐसा लिखा है, अगर यह बात

सच्ची है तो वह बहुत बड़ा खेद का विषय है और जो लोग संविधान बना रहे हैं उनको ध्यान देना चाहिए। यह लेख 'हरिजन' में गांधीजी ने अपनी हत्या से केवल ४० दिन पहले लिखा।

क्यों यह सारा हुआ ? कुछ अमेरिका से लिया, कुछ इंग्लैंड से लिया, हमारा संविधान तैयार हो गया और जिनके चरणों में बैठकर रात-दिन हमने राजनीति सीखी, जिसने लोकतंत्र का स्वरूप हमारे सामने खड़ा किया, उसे हम भूल गये ? कोई कारण तो होना चाहिए ? तो मैं इस निर्णय पर पहुँचा हूँ (और कुछ लोगों को इस पर दुःख हो तो मुझे खेद होगा, मैं क्षमा चाहूँगा) कि गांधीजी के जो राजनीतिक अनुयायी थे जवाहर-लालजी, राजेन्द्र बाबू, मौलाना साहब, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी साहब, सरदार पटेल साहब, इन लोगों ने और इनके साथियों ने गांधीजी के अहिंसा के दर्शन को स्वीकारा नहीं था। उन्होंने अहिंसा को केवल स्वराज्य-प्राप्ति की पद्धति के रूप में मान्य किया था, वह भी अहिंसा नहीं, शान्तिमय प्रतिकार। इसलिए सब लोगों ने, गांधीजी के जाने के बाद या तो स्वराज्य-प्राप्ति के बाद गांधीजी के जीवन में ही, उनकी तरफ पीठ फेर ली। जो थोड़े-से लोग बच गये थे, जो रचनात्मक क्षेत्रों में लगे हुए थे उन्होंने भी गांधीजी को 'क्रिएटिव' तरीके से समझा नहीं। उनका उद्धरण लेना, उन्होंने जो किया उस बात की लकीर पीटते रहना वस, और इस प्रकार से रचनात्मक कार्य में जो लगे हुए लोग थे, जिनका पार्टी से कोई सम्बन्ध भी नहीं था, वे निस्तेज होते चले जा रहे हैं।

खादी-संस्थाओं के सम्मेलन हों, उनमें आँकड़े पढ़े जायेंगे, पिछले साल इतनी गज खादी पैदा हुई, इस साल इतनी गज खादी पैदा हुई ! तो हम बहुत सन्तोष प्रकट कर रहे हैं कि १० फीसदी ज्यादा खादी हमने पैदा कर ली ! इतने से क्या हो गया ? आपका सौ फीसदी-दो सौ फीसदी बढ़ जाय तो भी उससे कोई समाज बदलनेवाला है ? गांधीजी स्पष्ट कह गये कि रचनात्मक कार्यक्रमों का उद्देश्य यह नहीं है कि गरीबों की जेबों में हम कुछ पैसे डाल दें, कुछ बेकार लोगों को

हम काम दें। रचनात्मक कार्यक्रमों का उद्देश्य है अहिंसक क्रान्ति। अहिंसक क्रान्ति समाज में करनी है, तो वह कैसे होगी ?

सीभाग्य है अपने देश का कि विनोबा जैसा गांधीजी का एक साथी अपने बीच मौजूद था। उन्होंने गांधीजी को बहुत गहराई में जाकर समझा था, जिनमें यह शक्ति थी कि परिवर्तनशील समाज में गांधीजी के मूल विचारों को कार्य-रूप देते।

अगर विनोबाजी नहीं होते

मुझे कोई सन्देह नहीं है कि विनोबाजी नहीं होते तो गांधीजी के विचार, जैसे उनका शरीर वहाँ मरम हो गया था वैसे ही विचार भी दफना दिये गये होते। और शायद कोई १०० वर्ष के बाद या २०० वर्ष के बाद आता, जो फिर गांधीजी का आविष्कार करता। लेकिन आज विनोबा हैं। और चूँकि वह देख रहे थे कि परिस्थिति बहुत बिगड़ रही है, तो जल्द कुछ करना चाहिए, समय नहीं है कि पूरी तैयारी करके और तब जनता के सामने एक 'मास ऐक्शन' का प्रोग्राम रखा जाय, इसमें बहुत विलम्ब होगा, शायद इस वक्त मौका छूट जायेगा, इसलिए इन्तजार में वह नहीं रहे कि सेवकों का एक संघ हो। जो रचनात्मक क्षेत्र के सेवक थे, जो संस्थाएँ थीं, उनमें से जितनों को वे जोड़ सके उनको जोड़कर उन्होंने सर्व सेवा संघ बनाया। उनके सामने एक कार्यक्रम दिया। विचार तो गांधीजी का था ही, उस विचार में उन्होंने भी विकास किया और भी सर्वोदय के कई लोगों ने विकास किया है, जोड़ा है राजनीति के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, और भी क्षेत्रों में। सर्वोदय के कई नेताओं ने जोड़ा है उसमें, यह बड़ी खुशी की बात है। तो इन विचारों का प्रसार हो और साथ-साथ इन विचारों के आधार पर आचरण के लिए कोई कार्यक्रम हो, इसलिए उन्होंने भूदान का कार्यक्रम देश के सामने रखा।

भूमि-वितरण के प्रयास

अब भूदान के विषय में लोगों का भ्रम है। भूदान विफल हो गया, इसलिए कि भूमि की समस्या इससे हल नहीं हुई। तो

मित्रो, भूमि की समस्या तो भारत में हल नहीं होगी। कोई हल नहीं कर सकता, न कानून से, न करणा से, न कत्ल से। जो भी खेती करना चाहे, धरती माता की सेवा करना चाहे, उसको अपनी जीविका के लायक उसके परिवार को उतनी भूमि मिले, यह असम्भव बात है। जमीन थोड़ी है, लोग ज्यादा हैं। इसलिए उस समस्या का हल नहीं होगा। और विनोबा ने भूदान का जो आन्दोलन चलाया था, वह सिर्फ भूमि-समस्या के हल के लिए नहीं, बल्कि सर्वोदय का जो एक नया विचार, नया मूल्य था उसके अमल के लिए, मानव-परिवर्तन के लिए, मूल्य-परिवर्तन के लिए, समाज-परिवर्तन के लिए। परन्तु भूमि-वितरण की दृष्टि से भी आप सोचें तो भूदान में जितनी सफलता मिली उतनी तो किसीको नहीं मिली। जब मैं समाजवादी पार्टी से अलग हुआ, तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा कि भीख माँगने से क्या होगा ? इस तरह से नहीं होगा, कानून से हो सकता है। हमने कहा कि ठीक है, आप कानून का रास्ता पकड़ो, विनोबा आपका रास्ता साफ ही कर रहे हैं, वह भी तो गाँव-गाँव जाकर यही कह रहे हैं—'सब भूमि गोपाल की'। तुम्हारे पास हजार बीघा है तो जो तुम्हारा पड़ोसी है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसका भी उतना ही हिस्सा है। उसकी न्यायोचित माँग होगी कि उसे भूमि में हिस्सा मिले। और कह रहे हैं कि पूरा हिस्सा अपने भाई को नहीं दे सकते हो तो जितना दे सकते हो, दो। पहला चरण है, इसमें कोई कानून के रास्ते को तो रोक नहीं रहे हैं। उनको मैं बहुत समझा नहीं पाया। अनुभव से कुछ लोग समझे, कुछ लोग हमारे साथ आये। जवाहरलाल नेहरूजी बराबर मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखते रहे कि भूमि-व्यवस्था में सुधार करो, 'सीलिंग' खड़ी करो, कितने पत्र लिखे, बड़े व्याकुल थे ! लेकिन आयोग कह रहा है, 'लेण्ड रिफार्म' नहीं होगा तो कृषि का विकास नहीं होगा। अमेरिकन 'एक्सपर्ट' ने जाँच करके अपनी रिपोर्ट दिखला दी कमीशन को कि भूमि-सुधार में और कृषि विकास में क्या अनुबन्ध हैं।

कम्प्यूनिस्टों का आन्दोलन चला, और धामपंथियों का चला। हिंसावालों ने भी तेलंगाना से काम शुरू किया, उस जमाने में जब सरदार वल्लभभाई पटेल गृहमंत्री थे। उन्होंने तलवार से जमीन बाँटने का प्रयत्न किया। नक्सालवादीवालों ने किया, केरल में अभी हाल में प्रयत्न हुआ। ये सारे प्रयत्न वर्षों से तलवार से जमीन बाँटने के हो रहे हैं, लेकिन आज तक तलवार के जरिए एक एकड़ जमीन बाँटी नहीं गयी। हिंसात्मक क्रान्ति को माननेवाले यह नहीं कह सकते कि उन्होंने एक इंच भी भूमि बाँटी। कानून से, बिहार में 'सीलिंग' कानून के द्वारा एक एकड़ जमीन का बँटवारा नहीं हुआ! सरकार को आशा थी कि शायद एक लाख एकड़ जमीन 'सरप्लस' घोषित की जाय और बाँटी जाय। कहीं एक लाख एकड़ की उनकी उम्मीद थी, एक एकड़ जमीन नहीं बाँटी। और, इन्द्रदीप बाबू के जमाने में उनके विभाग ने हिसाब-किताब करके उन्हें बताया था कि शायद ७ हजार से लेकर १० हजार एकड़ तक जमीन से उपादा नहीं मिल सकेगी, वह भी जब शक्ति से 'सीलिंग-एक्ट' को लागू करेंगे तब। और उस हालत में जब कि खुद यह राजस्वमंत्री कह रहे हैं मुझसे कि श्रमिक परिवार है बिहार में, जिसके पास आज भी १० हजार एकड़ जमीन है। यह तो विवशता है कानून की। सूबान से आपके इस प्रदेश में ३ लाख ६५ हजार एकड़ जमीन बँट गयी। बहुत लोगों ने मजाक बनाया कि जंगल दिया लोगों ने, पत्थर दिया, पहाड़ दिया, रेत, पानी दिया। इसी रेत, पहाड़, जंगल में से छांट-छाँटकर ३ लाख ६५ हजार एकड़ खेती लायक जमीन बाँटी गयी। कत्ल का शून्य, कानून का शून्य, और करुणा का ३ लाख ६५ हजार। जितनी जमीन बाँटी गयी उसमें से अधिकांश जमीन आदावाओं के कब्जे में है।

अब विनोबाजी ने इस आन्दोलन में से दूसरा नारा ग्रामदान का दिया। वह चल रहा है।

ग्रामदान में स्वामित्व-विसर्जन

मैं समझता हूँ कि अब तक १२५ लाख गाँवों का ग्रामदान हो चुका है। यह कोई

मैं तो एक खिदमतगार हूँ

मेरे पास हिन्दुस्तान से लोगों के बहुत-से खत आ रहे हैं। प्रोग्राम के सुतश्रितिक लिख रहे हैं। मेरे पास कोई प्रोग्राम नहीं। मैं तो गांधीजी के सौ साला जन्म-दिन की तकरीब पर जा रहा हूँ। अखबारात लिखते हैं कि 'अवाड' के लिए आ रहे हैं। कोई कहता है कि हमें 'लीड' करें, कोई कहता है कि आप 'टीचिंग' के लिए आयें। मैं कहता हूँ कि मैं 'लीडर' नहीं और न 'टीचर' हूँ। जब आपने गांधीजी को 'लीडिंग' और 'टीचिंग' कबूल नहीं की, तो मेरी 'लीडिंग' और 'टीचिंग' को क्या कबूल करोगे? मैं तो 'लीडर' और 'टीचर' नहीं, मैं तो एक खिदमतगार हूँ।

—खान अब्दुल गफ्फार खान

(मृदुला साराभाई के नाम आये १२ जुलाई, '६६ के पत्र से)

मामूली बात नहीं है। जो जमीन का मालिक है वह लिख दे, दस्तखत कर दे, एक फार्म के ऊपर, जो ग्रामदान-एक्ट के अन्दर स्वीकृत फार्म है, कि परिवार का जो कानूनी हक है वह हम ग्रामसभा को देते हैं। गांधीजी ने सर्वोदय समाज की जो कल्पना की उसमें सर्वोदय समाज में स्वामित्व का क्या हाल होगा? स्वामित्व का क्या विचार होगा? समाजवाद, साम्यवाद में क्या है? कागज पर है कि श्रमजीवियों का होगा, व्यवहार में लेकिन राज्य का है। राज्य का, श्रमजीवियों का नहीं, सत्ताधारियों का, जिनके हाथों में शस्त्र है। यहाँ सर्वोदय में? गांधीजी ने कहा कि व्यक्तिगत स्वामित्व का विचार मिथ्या विचार है, अनेतिक विचार है, अधार्मिक विचार है। स्वामित्व भगवान का, 'सम्पत्ति सब रघुपति के आही' जो कुछ हमारे पास है भगवान की कृपा और समाज के सहयोग से प्राप्त है। इसलिए हमारे पास जो कुछ है— बुद्धि है, इत्तम है, कोई हुनर है, धरती है, खान है, जंगल है, और कुछ नहीं है श्रम करने की शक्ति है, बाहुबल है, जिसके पास जो भी सम्पदा है उसका वह धातीदार है। वह यह समझे कि यह धाती है भगवान की तरफ से, समाज की तरफ से, और अमानतदार का यह धर्म है कि इसमें से आवश्यकतानुसार ले और बाकी जिसका है उसको वापस करे। कोई इनकम टैक्स जैसा कानून गांधीजी ने नहीं बनाया। सिर्फ आत्मिक विकास किसका कितना है इस पर छोड़ा। स्वयं उनका कितना आत्मिक विकास हुआ कि कुर्ते से भी

उनका शरीर जलने लगा तो उसको भी उन्होंने उतार दिया। इतना उन्होंने अपने को गरीब के साथ एकरूप कर लिया था।

यह स्वामित्व का विचार सब धर्मग्रन्थों में भरा पड़ा है। लेकिन ईश्वर का है तो ईश्वर को दो दाना दे देते हैं और बाकी अपने पेट में डाल लेते हैं, यही धर्म का पालन हुआ क्या? तो आज के युग में कैसे होगा इसका प्राचरण? विनोबा ने धरती के क्षेत्र में, जमीन के स्वामित्व के क्षेत्र में यह बात कही कि अगर इस विचार को मानते हो तो स्वामित्व का विसर्जन करो। ग्रामसभा को आप स्वामित्व समर्पित करो। स्वामित्व का यह जो नया विचार, क्रान्तिकारी विचार है वह समाजवाद, साम्यवाद से कहीं आगे का विचार है। शंका यही होती है कि ट्रस्टीशिप व्यावहारिक है या नहीं? गांधीजी हम लोगों को कहते थे कि तुम लोग तो पूंजीपतियों का कारखाना ही लेना चाहते हो, हम तो उनका कारखाना लेना चाहते हैं और पूंजीपतियों को भी लेना चाहते हैं, उनको भी बदलना चाहते हैं। अब शंका यही होती है कि यह होगा कि नहीं?


अबतक जितना विनोबाजी के नेतृत्व में कार्य हुआ उस पर से यह कहने का कोई कारण नहीं है कि यह संभव नहीं है। हम मनुष्य हैं, मानव-हृदय है, मानव-चेतना है। परमेश्वर का तत्त्व अन्दर है, इसलिए मानव पर विश्वास करके यह सर्वोदय का आन्दोलन आगे बढ़ रहा है। अब सब एक दिन में साधु बन जायेंगे, ऐसा तो है नहीं। और इसीलिए

विनोबा ने इसको ग्रान्दोलन न कहकर आरोहण कहा। इसलिए उन्होंने कहा कि स्वामित्व का कानूनी विसर्जन करो, सरकारी खाते में तुम्हारा नाम कट जायेगा और ग्रामसभा का नाम चढ़ जायेगा। लेकिन बाकी जो मालिक के अधिकार होंगे वे सब करीब-करीब तुम्हारे पास रहेंगे। कब्जा तुम्हारा रहेगा, सिर्फ ५ प्रतिशत कब्जा छोड़ना पड़ेगा, २०वें हिस्से के दान के कारण, जिसे ग्रामसभा को देना है। जहाँ तक उपभोग करने का सवाल है अपनी सम्पत्ति का, जो पैदा करोगे वह सबका सब तुम्हारा, सिर्फ ढाई प्रतिशत से भी कम ४०वाँ हिस्सा या उससे भी कम जितना ग्रामसभा तय करे, उतना फसल का हिस्सा देना पड़ेगा। ग्रामदनी का तीसवाँ हिस्सा देना होगा। श्रम का तीसवाँ हिस्सा देना होगा। तो कब्जा, उपभोग, उत्तराधिकार—उत्तराधिकार तो सो फीसदी—सुरक्षित हैं। और चौथा अधिकार होता है बेचने का, बंधक रखने का, वह भी है, लेकिन सीमित है, मर्यादित है, उसके हित में जो मालिक है और गाँव के हित में। जिस गाँव में जमीन है उस ग्रामसभा की राय से यह काम होगा।

तो आप देखिए कि स्वामित्व के विचार को कार्य-रूप देना, और स्वामित्व का जो रूप है, वह ज्यों का त्यों; जिसके पास १०० एकड़ है उसमें से ५ एकड़ दे दिया, ६५ एकड़ है। द्यूबवेल वगैरह लगा ले तो जितना पहले पैदा करता था उससे ज्यादा पैदा करने लगे। तो कोई कहेगा, क्या हो गया, कौनसी क्रान्ति हो गयी? परन्तु स्वामित्व का परिवर्तन हुआ। आज तो कोई भी पार्टी ऐसा नहीं कहती है इस देश की मार्क्सवादी-कम्यूनिस्ट-पार्टी, जो अपने को सबसे क्रान्तिकारी मानती है, जो वैधानिक तरीके से काम करनेवाली है वह अगर अपने घोषणा-पत्र में लिख दे कि हमारा शासन होगा, हमको वोट दोगे और हमारी जीत होगी तो जमीन की व्यक्तिगत मालकियत मिटा करके समाज की मालकियत हम कायम करेंगे, तो आधा एकड़ का मालिक भी उनको वोट नहीं देगा।

ग्रामदान में नैतिक पतन रुकेगा

मैं मानता हूँ कि इस देश की सबसे बड़ी →



यह है गांधी के सपनों का भारत

मैं ऐसे भारत के लिए कोशिश करूँगा, जिसमें गरीब-से-गरीब लोग भा यह महसूस करेंगे कि वह उनका देश है—जिसके निर्माण में उनकी आवाज का महत्व है। मैं उस भारत के लिए कोशिश करूँगा, जिसमें ऊँचे और नीचे वर्गों का भेद नहीं होगा और जिसमें विविध सम्प्रदायों में पूरा मेल-जोल होगा। उस भारत में अस्पृश्यता या शराब और दूसरी नशीली चीजों के अभिशाप के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। उसमें स्त्रियों को वही अधिकार होंगे, जो पुरुषों को। चूँकि शेष सारी दुनिया के साथ हमारा सम्बन्ध शान्ति का होगा, यानी न तो हम किसीका शोषण करेंगे और न किसीके द्वारा अपना शोषण होने देंगे, इसलिए हमारी सेना छोटी-से-छोटी होगी, ऐसे सब हितों का जिनका करोड़ों मूक लोगों के हितों से कोई विरोध नहीं है, पूरा सम्मान किया जायेगा, फिर वे देशी हो या विदेशी। अपने लिए तो मैं यह भी कह सकता हूँ कि मैं देशी और विदेशी के फर्क से नफरत करता हूँ। यह है मेरे सपनों का भारत।

—महात्मा गांधी

हमने इसके लिए क्या किया ?

जनसम्पर्क समिति, राष्ट्रीय गांधी जन्म-शताब्दी समिति
६ राजघाट कॉलोनी, नयी दिल्ली-१ द्वारा प्रसारित।

सर्वोदय-आन्दोलन में सरकारी सेवकों का सहयोग

—एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण—

विनोबा

लोकमान्य ने कहा था कि जिसको यह कल्पना हो कि स्वराज्य-प्राप्ति के बाद हम सुखा होंगे, उनकी यह कल्पना गलत है, फिर भी हमें स्वराज्य चाहिए। उनका एक बड़ा व्याख्यान इसी विषय पर हुआ था। उन्होंने कहा कि 'स्वराज्य-प्राप्ति के बाद अनेक समस्याएँ खड़ी होंगी और जो आज हम लोग एकमत होकर काम करते हैं, उनमें अनेक पक्ष पड़ जायेंगे। इस वास्ते स्वराज्य-प्राप्ति के बाद हमारा काम कठिन होगा और हम सुखी होंगे, यह मानना गलत है। सुखी होने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। हम लोगों को बहुत लक्ष्म्या फासला तय करना पड़ेगा। यद्यपि सुखी हम होनेवाले नहीं हैं, फिर भी हमें स्वराज्य चाहिए। क्योंकि स्वराज्य के बिना हमारी बुद्धि का विकास रुक गया है। आज जितना भी भला होता है वह अंग्रेज-सरकार करती है और बुरा भी वही करती है। भले-बुरे की जिम्मेदारी उसकी है। हम लोग किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी अपने पर पाते नहीं। इस वास्ते हमारा बुद्धि-विकास रुक गया है। इसीलिए हमको स्वराज्य की आवश्यकता है। सुखी तो हम होंगे बहुत दिनों के बाद।'

विकास की दिशा और आखिरी तबका

उनका यह वचन हमें हमेशा याद रहता है। यह बहुत महत्व की बात उन्होंने बतायी थी। जो उन्होंने कहा था, उसका उत्तम अनुभव इन २० वर्षों में आया। अनेक मिनिस्ट्री आयी और गयी इन २० वर्षों में, लेकिन भारत की समस्याएँ सुलझी नहीं, बल्कि ज्यादा उलझी ही हैं और भारत में पहले जितना सुख था अंग्रेजों के राज में, उतना भी आज नहीं है। भारत में प्रति व्यक्ति पहले की अपेक्षा अनाज, फल, दूध कम है। यह बात अलग है कि अरबों रुपये खर्च किये गये इस वास्ते कुछ तबके के लोगों को अधिक सहुलियतें मिली हैं, यह मानना होगा और कुछ काम हुआ है यह भी मानना होगा। फिर भी हमें लगता है कि बुनियादी काम

→ समस्या यह है कि इस देश का नैतिक पतन हो गया है। जिस देश की नैतिक शक्ति टूट गयी वहाँ के लोग देश को बेच देने को तैयार होंगे। फिर वह देश कुछ भी कर नहीं सकेगा। और बहुत शीघ्रता से हमारा पतन हो रहा है। मैं मानता हूँ कि इस आमदान के आन्दोलन में, जो देश की यह सबसे बड़ी समस्या है उसका जिस हद तक, जिस सीमा तक समाधान है, उतना किसीमें नहीं है।

(समाप्त)

नहीं हुआ है, केवल 'सेकेन्दरी' काम हुआ है। वह जितना हुआ है वह मान्य करते हैं। तीन चुनाव हुए, अच्छे हुए। लोकतंत्र की दृष्टि से अच्छा काम हुआ। विदेशनीति के बारे में भी अच्छा चल रहा, यह मानते हैं। 'इंडस्ट्रीज' बढ़ी हैं, लोगों की आकांक्षाएँ बढ़ी हैं, आरोग्य का सुधार हुआ है। ये सब बातें मान्य हैं लेकिन फिर भी जो बुनियादी चीजें हैं, वे नहीं हुई हैं। आम लोगों को, जो 'लोएस्ट स्ट्रेटा' (आखिरी तबका) है उसको कुछ नहीं मिला है।

सर्वोदय-आन्दोलन और सरकारी सेवक

अभी आज मैं जो कहने जा रहा हूँ, वह एक खास बात है, जिसके बारे में हम लोगों के मन में सफाई कम है। सारे भारत में हमारे कार्यकर्ता हैं। उनके मन में इस विषय में उलझन है। वह यह है कि बाबा ने चार-छः महीनों से आरम्भ किया है, चाहता तो बहुत पहले से था, सरकारी सेवकों की मदद हासिल करना। उस सिलसिले में कुछ छूत-छूत भेद हमारे लोगों के मन में है। उसको हमने अप्रसृतता नाम दिया। उस विषय में थोड़ा कहना चाहता हूँ।

एक तो यह कि जब अंग्रेजों का राज यहाँ आया तो वह परकीय सत्ता थी और उसके द्वारा काफी शोषण हुआ, जो स्वाभा-

विक ही था। ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने काफी शोषण किया। उसके बाद अंग्रेजों का राज चला सारे भारत में, तो हमारे उत्तम-से-उत्तम जो नेता उस जमाने के थे उन सब नेताओं ने यह उचित माना कि सरकारी नौकरी में ही जाकर काम होगा। राजा राम-मोहन राय से लेकर रानडे तक जितने भी नेता आप दूँदेंगे, उनमें से कुछ वकील पायेंगे, बाकी सारे सरकारी नौकरी में पादेंगे। उन्होंने सरकारी नौकरी में रहकर ही, सन् १८८५ में कांग्रेस की स्थापना की। सारे लोगों में यह क्यों माना कि सरकारी नौकरी में जाना अच्छा है? उन्होंने माना कि सारा भारत एक ही सत्ता के नीचे आज तक आया नहीं था। अशोक की बात अलग है। उसके जमाने में भी दक्षिण के प्रांतों में उसकी सत्ता नहीं थी। लेकिन अंग्रेजी राज में कुल-का-कुल भारत एक हो गया। इसलिए भारत की एकता हमको अंग्रेजों के राज के कारण प्राप्त हुई। यह ठीक है कि इस एकता का अर्थ है कि सारे परावलम्बी हो गये। सबके सब लोग एक सत्ता के नीचे दबाये जायेंगे, ऐसी हालत हुई थी। लेकिन सारे लोग एक दफा एक जगह आये, यह बहुत बड़ी बात हुई। तो जो कांग्रेस बनी उसमें महाराष्ट्र, पंजाब आदि प्रांतों के लोग थे और वे बहुत सारे सरकारी नौकर थे। भारत की एकता का लाभ हमको मिलना चाहिए। अंग्रेजी राज के कारण दुनिया के साथ सम्बन्ध आ गया है उसका लाभ मिलना चाहिए, यों समझकर के सरकारी नौकरों ने कांग्रेस की स्थापना की। मैं सोचता हूँ कि अंग्रेजों के जमाने में उन भारतीय नेताओं ने परकीय राज में नौकरी करना ठीक माना, वे सामान्य लोग नहीं थे। उन्होंने पेट भरने के लिए नौकरी नहीं की। अब जब कि भारत आजाद हुआ तो आजाद भारत में नौकरी के लिए अच्छे लोग जायेंगे कि नहीं? यह मानना होगा कि परकीय सत्ता में सरकारी नौकरी में जाकर देश की सेवा हो सकती है तो स्वराज्य की सरकार में सेवा की सेवा करने का जो मौका मिलता है, वह अच्छा है।

देश की सर्वोत्तम प्रखिभा सरकारी नौकरी में दूसरी यह बात है कि देश की 'वेस्ट

टैलेन्ट' (सर्वोत्तम प्रतिभा) अगर कहीं है तो वह सरकारी नौकरी में है। उत्तम-से-उत्तम शिक्षा पाये हुए लोग सरकारी नौकरी में जाते हैं। जो वहाँ नहीं जाते, उनमें से कुछ लोग पार्टी में बैठे हुए हैं, जिनको 'पॉलिटि-शियन्स' (राजनीतिक) कहते हैं। उत्तम-से-उत्तम प्रतिभाव वाले, अधिक-से-अधिक दुनिया का ज्ञान जिन्हें मिला है, ऐसे सब लोग सरकारी नौकरी में जाते हैं। इसका मतलब है कि देश की 'सर्वोत्तम प्रतिभा' वहाँ है। अब बाबा के पास कुछ लोग आ गये, जो बचे हुए लोग थे सो आये। उनमें 'प्रतिभा' वालों की संख्या ज्यादा नहीं है। लेकिन जो आये वे अच्छे हृदयवाले आये। और ज्यादा प्रतिभाव वाले सरकार में गये, इसमें बाबा को शक नहीं।

अब सोचने की बात है कि वे देश की सेवा करते हैं, यह मानना होगा। देश की सेवा कौन नहीं करता? आज की हालत में जो वहाँ सिगनल बतानेवाला रेल का नौकर है वह देश की सेवा करता है। वह अगर कोई गलती करेगा तो हजारों लोग घायल होंगे। इस वास्ते वह अपने देश के सर्वोत्तम सेवक का नमूना है। वह रेल पर खड़ा रहता है, रात में जागना पड़ता है, दिन में भी खड़ा रहना पड़ता है। ट्रेन आयी कि एकदम सिगनल देना पड़ता है। वह ईमानदार सेवक है। वह सर्वोत्तम सेवकों में से एक है। यह सहज मैंने एक मिसाल दी। इस प्रकार से जो उत्तम सेवा का काम कर रहे हैं वे सब-के-सब देश की सेवा में लगे हुए हैं। सरकारी 'मिलीटरी' सेवा करती है, पुलिस भी अपनी सेवा कर रही है यह मानना ही पड़ेगा। उस हालत में इस जमात के बारे में हम अपने मन में अछूतपन रखें, यह उचित नहीं। उस सिलसिले में यह बात ध्यान में लेने की है, कि एक तो 'बेस्ट टैलेन्ट' वहाँ है, दूसरे वे देश की सेवा करते हैं और तीसरे वे लोग ३० साल सेवा करने-वाले हैं। आपके जो 'पॉलिटिशियन्स' हैं, जिनकी आप ज्यादा कद्र करते हैं, वे ज्यादा-से-ज्यादा पाँच साल के लिए आपके नौकर हैं। प्रधान मंत्री इन्दिरा भी पाँच साल के लिए चुनी हुई नौकर हैं। उनके लिए पाँच

साल की 'टेस्ट' लगा रखी है। पाँच साल से ज्यादा उनकी हस्ती नहीं है। और बिहार में तो आप इन नेताओं का तमाशा देख ही रहे हैं। कोई दो साल रहे, कोई चार महीने रहे और कोई तो चन्द रात ही टिकते हैं! इस वास्ते समझना चाहिए कि सारे देश की सेवा करनेवाले जिम्मेदार सरकारी सेवक हैं, उनके द्वारा ही देश का काम चल रहा है।

एक दफा दरभंगा जिले में इन्दिराजी मुख्तसे मिलने के लिए आयीं। उनसे पूछा गया कि इस वक्त अपने-अपने स्थान पर सेवा करने के बजाय दो-तीन हजार लोग पटना में इकट्ठे हुए हैं। उस हालत में देश की सेवा कैसे होगी? उन्होंने जवाब दिया कि "इसकी चिन्ता नहीं है, देश की सेवा करनेवाले लोग मौजूद हैं।" उनका यह उत्तर सही है। ये लोग पटना में अड़ंगा लगायें तो भी देश का कुछ काम नहीं बढ़ता। उनकी हेसियत आपके 'पॉलिटिशियन्स' से ऊँची है।

सभी सरकारी सेवक सर्वोदय-सेवक

अब दूसरी बात, उनको जो आदेश है वह सर्वोदय समाज को जैसा आदेश है वैसा ही है। उनको आदेश है कि आपको समाज की सेवा करने में भाषा, धर्म, पंथ, जाति आदि का खयाल नहीं करना चाहिए। जो आदेश हमने सर्वोदय-सेवकों को दिया है वह उनको दिया गया है कि भाई तुमको सेवा करने में ये सारे भेद ध्यान में नहीं लेना चाहिए, यदि लेते होंगे तो गलत काम करते हैं। अपने हास्पिटल में जो दाखिल होगा वह किस पार्टी का है, किस जाति का है, किस धर्म का है यह डाक्टर नहीं देखेगा। उसका तो एक ही काम होगा कि यह किस रोग-वाला है, तदनुसार सेवा करेगा। वह सेवा करने में इन सारे भेदों का खयाल नहीं करेगा। मिलीटरी भी इन भेदों का खयाल नहीं करती। आपकी संसद का स्पीकर किसी पार्टी का नहीं होता। न्यायाधीश को भी सर्वोदय-सिद्धान्त के अनुसार तटस्थ होकर सेवा करनी होती है। इसका मतलब है, जितने भी सरकारी सेवक हैं, सर्वोदय समाज को जो आदेश है वह आदेश उनको भी प्राप्त है।

मुझ से पूछा जाता है कि सर्वोदय समाज कब बनेगा? मैं जवाब देता हूँ कि सर्वोदय समाज की स्थापना हो चुकी है, आप कब देखेंगे, यही सवाल है। ऐसा जो सर्वोदय समाज सेवा करने के लिए स्थापित हुआ है जिसको किसी पार्टी का काम करने का नहीं है, ऐसा जिसको आदेश दिया गया है उन पर बाबा का असर हो रहा है, तो आपको तो नाचना चाहिए कि ये लोग भी बाबा के आदेश के अनुसार काम करते हैं। इसकी उत्तम मिसाल पटना के डी० सी० की है। सर्वोदय-विचार वे उत्तम ढंग से समझे हुए हैं। ये पटना जिलादान-समर्पण के लिए मेरे पास आये थे। उसका समारोह पटना में था। उसमें उन्होंने कहा कि देश की सेवा करने का मौका बाबा के आन्दोलन ने मुझे दिया, इसका मैं अत्यन्त उपकार मानता हूँ। यह भी बताया कि किस प्रकार से यह काम किया। यह उत्तम और अद्यतन मिसाल आपके सामने रखी।

दूसरी मिसाल, अभी सिमडेगा अनुमंडल में बाबा गया था। वहाँ पर बाबा के इस काम के लिए सरकारी सेवकों ने अपने एक दिन का वेतन इकट्ठा करके ५०० रु० बाबा को दिया। इस तरह से उनको प्रेरणा हो रही है कि हम दान दें और इसमें काम करें तो आपको समझना चाहिए कि बहुत बड़ा काम हो रहा है। ये सारे सरकारी सेवक हमारे सेवक बन रहे हैं तो हमारी जमात बहुत बढ़ी हो रही है, ऐसा आपको लगना चाहिए। उसके बदले आपका उनकी तरफ देखने का कोण टेढ़ा रहे कि वे तो सरकारी लोग हैं, हम क्यों उनकी मदद लें तो उचित नहीं होगा।

पुराने जमाने में जब गांधीजी ने इन सरकारी नौकरों को आवाहन किया था। उसके बाद जो अपनी नौकरी पर कायम रहे वे देशद्रोही साबित हुए। लेकिन राजा राममोहन राय और रानडे देशद्रोही नहीं थे, क्योंकि उस वक्त 'नान-कोआपरेशन' (असह-योग) का आदेश नहीं था, लेकिन 'असहयोग' का आदेश लागू होने के बाद जो नौकरी में बने रहे, उनको यह टीका लागू हो सकती है कि ये देशद्रोही हैं। वैसे अब वे जो सरकारी

सेवक हैं, उनको 'असहयोग' का आदेश नहीं दिया गया है। इस वास्ते उनके द्वारा काम होता है तो आपको खुशी होनी चाहिए।

भारत के सभी लोग 'बाबा के प्यारे'

शिक्षकों से मदद लेने की कोशिश मेरी तीन-चार साल से रही है। एक बार स्वजा बाबू ने कहा था कि यह आन्दोलन लोग ही कब उठा लेंगे? मैंने जवाब दिया था कि जनता को उठाने से पहले शिक्षक लोग ही पहले इसे उठावेंगे। शिक्षकों के द्वारा यह लोगों में जायेगा। यह प्रथम दरभंगा में शुरू हुआ। उन्होंने वहाँ कुछ प्रखण्डदान प्राप्त किया। अब यह सारी-की-सारी शिक्षक जमात इस काम के लिए प्रेरित है। वह कहते हैं कि हम इसको पसंद करते हैं। तो इतनी बड़ी जमात जब काम में आ जाती है तो जनता अपना काम अपने हाथ से करेगी, यह इसकी पूर्वतयारी है। ग्रामसभा बनाकर अपना सारा काम करेगी। अब हमारा विभाग साफ होना चाहिए। यहाँ के लोगों की बात तो छोड़ दीजिए, सर्वोदय के जो दूसरे नेता हैं उनको भी लगा कि बाबा सरकारी सेवकों का सहयोग क्यों लेता है। इनको लगता था कि उनका सहयोग लेने से दबाव होता होगा। लेकिन ध्यान में आया कि दबाव का सवाल नहीं है, प्रेम से समझाने का है। दबाव से दबनेवाली जनता अब नहीं रही। इस वास्ते जब वह प्रथम भावना उत्पन्न हुई थी, उसी वक्त हमने कह दिया कि बाबा अपना धंधा जानता है और बाबा यह जानता है कि भारत के जितने भी लोग हैं वे बाबा के अस्थान्त प्यारे हैं। आज नहीं तो कल उनका सहयोग मिलने ही वाला है। यह जानकर ही बाबा काम कर रहा है। सरकारी सेवक और शिक्षक आपके काम में लग गये। दो बातें हो गयीं। अब इसके आगे का काम जो करना है वह ग्रामसभा के लोग ही उठावें, यह कराने की बात है। आगे के लिए पूरी सामग्री तैयार हो गयी है।

नेताओं का जमाना समाप्त

एक बात मैं कई दफा कह चुका हूँ, फिर भी दुहराता हूँ। आज ही मैं कुछ लोगों से कह रहा था कि बाबा जनता का सामान्य

सेवक है और थोड़ा-सा आध्यात्मिक ग्रन्थों का ज्ञान रखता है और उसकी ईश्वर पर श्रद्धा है। हम सारे सामान्य सेवक हैं। मैंने कहा था कि पंडित नेहरू के जाने के बाद जो नेता होंगे वे जनता में एक होकर रहेंगे। इसके आगे नेता नहीं, 'गण-सेवक' होंगे। नेताओं का जमाना अब समाप्त हो गया। पं० नेहरू आखिरी नेता थे। इनके आगे वह खाता खतम है। मैंने कहा था कि इसके आगे उनसे भी बढ़कर नेता होंगे, लेकिन वे अनेक में से एक होंगे। उसके लिए बहुत बार मैं एक कहानी सुनाया करता हूँ। वडेंसवर्थ अंग्रेजी के एक बड़े कवि हो गये। जहाँ वह रहते थे वहाँ एक पहाड़ था। वह घूमने के लिए वहाँ जाया करते थे। किसीने पूछा कि आपका स्मारक कैसे बनाया जाय? तो उन्होंने बताया कि वह जो पहाड़ है, उसमें कई पत्थर अच्छे अच्छे थे उनको सारे लोग कारीगरी के लिए ले गये। फिर भी एक पत्थर ऐसा पड़ा है, जिसका आकर्षण किसीको कारीगरी के लिए नहीं हुआ। वह मैंने देखा है। उसका स्मारक के लिए उपयोग किया जाय। उस पर मेरे जन्म और मृत्यु की तारीख हो और यह लिखा हो—'वन वाफ् द मेनी' (अनेक में से एक)। वैसे ही हम भी सारे अनेक में से एक हैं, यह हमको समझ लेना चाहिए। इस कविता को कहते हुए मैं कभी अघाता नहीं।

हमारे पास विशिष्ट और अपवाद माने जानेवाली प्रतिभा के लोग नहीं आये हैं, लेकिन अच्छे हृदयवाले आये हैं। उनमें भी काफी गुण-दोष पड़े हैं। लेकिन बाबा गुण गाना ही पसन्द करता है। दूसरे के गुण गाता है और अपने भी गुण गाता है। यह मैंने सिद्धान्त ही बना लिया है। गांधीजी के जमाने में ऐसा था कि अपने दोष देखो और दूसरों के गुण देखो। लेकिन अब बाबा ने यह नया सिद्धान्त निकाला कि अपना गुण देखो और दूसरों के भी गुण ही देखो। दूसरे के भी गुणों का ही उच्चारण करना और दोष का उच्चारण ही नहीं करना, जैसा कि मोराबाई ने गाया है—'राणाजी, मेरे तो गोविंद गुण गाना।—मैंने तय किया है कि

मैं गोविंद का गुण गाऊँगी, मैं केवल गुण ही उच्चारण करूँगी।'

गुण-दोष तो सबमें होते हैं। बाबा में तीन गुण हैं। एक तो कष्टता, गरीबों का दुःख मिटाना चाहिए, यह बाबा के हृदय में चल रहा है। दूसरा, जो काम लिया उसको छोड़ना नहीं, सतत करते ही रहना। लोगों का सहकार मिले अथवा नहीं, सातत्यपूर्वक उस काम को करते रहना। और तीसरी बात, बाबा की ईश्वर पर श्रद्धा है। ये तीन गुण उसके हैं, बाकी अनन्त दुर्गुण हैं। ऐसे ही आप लोगों में से हर एक में कुछ गुण होंगे और असंख्य दोष होंगे। हम अनेक दोषों से भरे हुए कुछ-न-कुछ गुणों से युक्त, भगवान के भक्त हैं। हमको एक-दूसरे पर प्यार करना चाहिए। एक-दूसरे का दोष देखना नहीं चाहिए, हर हालत में। हम अधिकारी नहीं हैं कि किसीका दोष देखें और फैसला दें। वह हमारा अधिकार नहीं है। वह ईश्वर का अधिकार है। अन्तर का वह ज्ञाता है। हर एक के हृदय का थर्मामीटर उसके पास है। इस वास्ते फैसला देने का अधिकार हमारा नहीं है। "जज नाट दंट यी, वी नांट जज"। दूसरे का फैसला करेंगे तो आप पर ही फैसला लागू होगा। इस वास्ते दूसरे पर प्रेम करना चाहिए और यह सारी जमात कई दोषों से भरी हुई है, लेकिन ईश्वर-प्रेरित है। ईश्वर इस जमात से काम करवा रहा है।

रांची

२ अगस्त '६९

बिहार के प्रमुख

कार्यकर्ताओं के बीच

विनोबाजी का कार्यक्रम

माह	स्थान	दूरी : मीलों में
सितम्बर	उड़ीसा	
३	बारीपदा से उदला	२५
४	उदला से बारीपदा	२५
	बिहार	
६	बारीपदा से चाकुलिया	४२
७	चाकुलिया से घाटशिला	४०
८	घाटशिला से चांडिल	४०
९	चांडिल से बुण्डू	३०
१०	बुण्डू से रांची	३०

—कृष्णराज मेहता

विवेकरहित विरोध

बनाम

बुनियादी परिवर्तन-प्रक्रिया

“शासन के खिलाफ विवेकरहित विरोध चलाया जाय तो उससे प्रराजकता की, अनियंत्रित स्वच्छंदता की स्थिति पैदा होगी और समाज अपने हाथों अपना नाश कर डालेगा।”

—गांधीजी

आज देश में आये दिन घेराव, धरना, लूटपाट, आगजनी, कथित सत्याग्रह की कार्रवाइयाँ लोकतंत्र में सामूहिक विरोध के हक के नाम पर होती हैं।

सर्वोदय-आन्दोलन भी वर्तमान समाज, अर्थ और शासन-व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह है। किन्तु, वह इसका एक नियंत्रित, रचनात्मक एवं अहिंसक कार्यक्रम प्रस्तुत करता है।

इसके लिए पढ़िए, मनन कीजिए :—

(१) हिन्द स्वराज्य

— गांधीजी

(२) ग्रामदान

— विनोबाजी

फिर एक जिम्मेवार नागरिक के नाते समाज-परिवर्तन की इस क्रान्तिकारी प्रक्रिया में योग भी दीजिए।

गांधी रचनात्मक कार्यक्रम उपसमिति (राष्ट्रीय गांधी-जन्म-शताब्दी-समिति)
दुर्लक्षिणा भवन, कुम्भीगरी का भैरू, जयपुर-३ राजस्थान द्वारा प्रसारित।

अ० भा० ग्रामस्वराज्य समिति

— वैशाली-गोष्ठी के कुछ प्रमुख निर्णय और सुझाव —

सर्व सेवा संघ के तिरुपति-अधिवेशन में गठित अ० भा० ग्रामस्वराज्य समिति की पहली बैठक श्री सिद्धराज ढड्डा की अध्यक्षता और सर्वश्री जयप्रकाश नारायण, धीरेन्द्र मजूमदार, शंकरराव देव जैसे बुजुर्ग नेताओं के मार्गदर्शन में गत १४ से १७ अगस्त तक समिति के संयोजक आचार्य राममूर्तिजी द्वारा तैयार किये गये 'विचार-पत्र' के आधार पर सविस्तार चर्चा के बाद सम्पन्न हुई। गोष्ठी के प्रमुख निर्णय निम्न प्रकार हैं :

पुष्टि-प्रभियान

• ग्रामस्वराज्य की लक्ष्य प्राप्ति के लिए व्यापक विचार-शिक्षण और प्रचार हेतु पूरे विचार को सरल भाषा-शैली में समझाते हुए एक नयी पुस्तिका जल्द-से-जल्द तैयार की जाय।

• बिहारदान के अगले कदम के रूप में ग्रामदान-पुष्टि के संदर्भ में आगामी नवम्बर '६६ से अप्रैल '७० तक के बीच की अवधि में पूरे बिहार में प्रखण्ड-स्तरीय करीब ६०० ग्रामस्वराज्य-गोष्ठियाँ की जायँ। उन गोष्ठियों में ग्रामस्वराज्य में रुचि रखनेवाले, सहयोग देनेवाले तथा प्रत्यक्ष भागीदार बननेवाले गाँव के प्रमुख लोगों को, गाँव में ग्रामसभा के संगठन, बीघा-कट्टा के वितरण, ग्रामकोष के संग्रह आदि कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए, तैयार किया जाय, ताकि वे पंचायत-स्तर पर, आवश्यक हो तो ग्राम-स्तर पर, शिबिर करके इस काम को आगे बढ़ा सकें।

• पूरे बिहार में सर्वश्री जयप्रकाश नारायण और धीरेन्द्र भाई की लोकशिक्षण-यात्राएँ आयोजित की जायँ। श्री जयप्रकाश नारायण छात्रों से अवकाश के वक्त में ग्रामदान-पुष्टि के काम में लगने की अपील करेंगे। श्री जयप्रकाश नारायण ने यह शर्त रखी कि उनकी सभाएँ गाँवों में ही आयोजित की जायँ।

• सभी ग्रामदानी गाँवों से तथा ग्रामदान के काम में सहयोग देने व रुचि रखने वाले लोगों से ग्रामसभा के संगठन के लिए कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों की ओर से अपील प्रकाशित की जाय, उसके साथ ग्रामसभा-संगठन के सम्बन्ध में जानकारी भी रहे।

• ग्रामदान-पुष्टि के काम की जिम्मेदारी मुख्य रूप से ग्रामसभाओं पर डाली जाय।

• पुष्टि-कार्य में इस बात पर जोर रहे

कि पूरे गाँव के लोग समारोहपूर्वक बीघा-कट्टा का वितरण करें, पूरा गाँव एकसाथ तैयार न भी हो सके, तो जितने तैयार हों, पहले उतने लोगों द्वारा ही वितरण कराया जाय।

संगठन

• हर स्कूल में तरुण शान्तिसेना और हर गाँव में ग्राम शान्तिसेना का संगठन भी पुष्टि कार्य का ही अंग माना जाय।

• ग्रामस्वराज्य के सघन कार्य के लिए उस क्षेत्र को ले सकते हैं, जिस क्षेत्र में :

(१) ग्रामदान की सभी शर्तों की पूर्ति हो जाय।

(२) ग्राम शान्तिसेना संगठित हो जाय।

(३) क्षेत्र की ओर से किसी आगे के

काम के लिए कार्यकर्ता की माँग हो, और वह क्षेत्र उस कार्यकर्ता के आवास और भोजन की व्यवस्था की जिम्मेदारी निभाने को तैयार हो।

• रचनात्मक-संस्थाओं से अपील की जाय कि संस्था के जो कार्यकर्ता अपनी स्वतःस्फूर्त प्रेरणा से ग्रामस्वराज्य के काम में लगने को तैयार हों, उन्हें संस्था अपनी दैनंदिन कामों की जिम्मेदारी से मुक्त कर दे, लेकिन उससे बेतन आदि की व्यवस्था पूर्ववत् करती रहे।

• बिहार में राज्य-स्तर पर इस काम को आगे बढ़ाने के लिए कम-से-कम २५ कुशल कार्यकर्ताओं की एक टीम तैयार की जाय, उनके खर्च आदि के लिए राज्य-स्तर पर एक कोष का संग्रह किया जाय। इसकी सिफारिश समिति बिहार सर्वोदय संघ से करती है।

• जिस तरह ग्रामदान की प्राप्ति का वातावरण तैयार किया जाता था, उसी

प्रकार ग्रामसभा के संगठन का वातावरण भी तैयार किया जाय। पूरे गाँव की चेतना को जगाने के लिए लोकशिक्षण हो। ग्रामसभा में गाँववालों की रुचि के विषय लिये जायँ।

• आखिरी तबके की चेतना जगाने के लिए विशेष प्रयत्न करने होंगे। कहीं टकराव की स्थिति आती है, तो उसे शान्तिपूर्ण ढंग से हल किया जाय।

विकास

• विकास का लाभ गाँव के हर आदमी को मिलना चाहिए। खेतिहर मजदूरों को भी गाँव की सहकारी समिति का सदस्य उसकी श्रमशक्ति के आधार पर बनाया जाय। अतिरिक्त उत्पादन (विकसित साधनों और प्राप्त नयी सतृलियतों के कारण) में मजदूरों को मजदूरी के अलावा भी उत्पादन का एक भाग मिलना चाहिए।

• ग्रामसभाओं के शिक्षण के तीन विभाग हो सकते हैं : (क) गाँव को नेतृत्व देनेवाला तैयार करने की दृष्टि से, (ख) गाँव में स्वयं-सेवा जमाव खड़ी करने की दृष्टि से, (ग) ग्रामसभा की प्रवृत्तियों को चलाने की दृष्टि से।

• गाँव के स्कूल को ग्रामसभा के साथ जोड़ना चाहिए। ग्रामसभा गाँव के स्कूल को श्रम, साधन दे, अपनी जिम्मेदारी महसूस करे। गाँव के स्कूल का शिक्षक ग्रामसभा का सहकारी सदस्य माना जाय। इस संदर्भ में कुछ प्रमुख उस्ताही शिक्षकों की तथा प्राथमिक शिक्षण के प्रशासकों का एक राज्य-स्तरीय सम्मेलन बुलाया जाय।

• भूमि-कर पूरा-पूरा ग्रामसभा को ही मिलना चाहिए। उसका कुछ अंश पंचायत और प्रखण्ड-स्तर पर भी खर्च हो सकता है, लेकिन मुख्य भाग ग्रामसभा गाँव में खर्च करे।

लोकनीति

• लोकनीति के लोकशिक्षण के लिए पुस्तिकाएँ सरल भाषा-शैली में तैयार करायी जायँ।

• ग्रामसभाओं के संगठन का आधार होना चाहिए कम-से-कम २० परिवार या १०० की जनसंख्या।

• चुनाव-क्षेत्र का मतदाता-मण्डल एक

भूदान-संघ : सोमवार, २५ अगस्त, '६६

पन्द्रह सौ पृष्ठों का साहित्य सात रुपये में

स्थाई संगठन होगा। उसके सदस्य बदलते रहेंगे। ग्रामतौर पर एक हजार की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होगा। इस प्रतिनिधि-मण्डल का अपने विधायक से प्रत्यक्ष सम्बन्ध चुन जाने के बाद भी कायम रहेगा। विधायक अपने कार्यों की रिपोर्ट इस प्रतिनिधि मण्डल को देगा, और आगे के लिए परामर्श लेगा। अगर विधायक इस क्षेत्र का सही प्रतिनिधित्व नहीं करनेवाला साबित होगा तो उसे वापस बुला लिया जायगा।

प्रत्येक हिन्दीप्रेमी परिवार में बापू की अमर और प्रेरक वाणी पहुँचनी चाहिए। गांधी-वाणी या गांधी-विचार में जीवन-निर्माण, समाज-निर्माण और राष्ट्र-निर्माण की वह शक्ति भरी है, जो हमारी कई पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी, परिवार में-ऐसे साहित्य के पठन, मनन और चिन्तन से वातावरण में नयी सुगन्धि, शान्ति और भाईचारे का निर्माण होगा।

गांधी-जन्म-शताब्दी के अवसर पर हम सबकी शक्ति इसमें लगनी चाहिए।

गांधी जन्म-शताब्दी सर्वोदय-साहित्य सेट नं० २

• इस प्रतिनिधि-मण्डल की ओर से चुनाव में खड़े होने का टिकट किसी पार्टी के सदस्य को नहीं मिलेगा। पार्टी के सदस्य से कहा जायगा कि वे पार्टी से अलग होकर हमारे साथ हों।

संगठन तथा अगली बैठक

• राज्य और जिला-स्तर पर भी ग्राम-स्वराज्य के कामों को अधिक वेगवान् बनाने के लिए ग्रामस्वराज्य-समितियाँ संगठित की जायें। राज्य और जिले के सर्वोदय-मण्डल इस समिति को संगठित करें।

• समिति की अगली बैठक सर्व सेवा संघ के अध्यक्ष श्री जगन्नाथन्जी के आमंत्रण पर अप्रैल या मई '७० में तमिलनाडु में होगी, उस बैठक में बिहार के सचन ग्रामसभा संगठन तथा पुष्टि-अभियान के अनुभव भी प्राप्त हो गये रहेंगे। •

पुस्तक	लेखक	पृष्ठ	मूल्य
१. आत्मकथा (सन् १८६९-१९६९)	: गांधीजी	१७६	१००
२. बापू-कथा (सन् १९२०-१९४८)	: हरिभाऊ उपाध्याय	३२०	२५०
३. गीता-बोध व मंगल प्रभात	: गांधीजी	११२	१२५
४. मेरे सपनों का भारत (संक्षिप्त)	: गांधीजी	१७६	१२५
५. तीसरी शक्ति (सन् १९४८-१९६९)	: विनोबा	२१६	२००
६. गीता-प्रवचन	: विनोबा	३००	२००
७. संघ-प्रकाशन की एक पुस्तक		१०० से १५०	१००
कुल :			१४५० ११००

सेट नं० १

ऊपर की पाँच पुस्तकों का १००० पृष्ठों का सेट ५ रुपये में प्राप्त होगा। एकसाथ ४० या अधिक सेट लेने पर रु० ४) ५० में मिलेगा।

सेट नं० २

१५०० पृष्ठों का पूरा साहित्य-सेट केवल ७ रुपये प्राप्त होगा। एकसाथ २८ या अधिक सेट लेने पर रु० ६) ५० में मिलेगा।

गांधी-जन्म-शताब्दी सर्वोदय-साहित्य सेट के लिए

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री की अपील

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री श्यामाचरण शुक्ल ने गांधी-जन्म-शताब्दी सर्वोदय-साहित्य-सेट के अधिकाधिक प्रसार के लिए निम्नलिखित अपील की है :

“आगामी २ अक्टूबर, '६९ को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्म-शताब्दी आ रही है। इस सुपवसर पर गांधी स्मारक निधि, सर्व सेवा संघ और गांधी शान्ति प्रतिष्ठान के सम्मिलित सहयोग से गांधीजी की वाणी घर-घर पहुँचे, इस दृष्टि से गांधीजी की अमर जीवनी, कार्य तथा विचारों से सम्बन्धित एक हजार पृष्ठों का अत्यन्त उपयोगी और जुना हुआ साहित्य का सेट मात्र पाँच रुपये में देने का निश्चय किया गया है। गांधी-जन्म-शताब्दी के अवसर पर हम सबकी शक्ति इस कार्य में लगनी चाहिए। प्रत्येक संस्था और व्यक्ति, विशेषकर मध्यप्रदेश की शिक्षण-संस्थाएँ, सार्वजनिक सेवा संस्थान तथा जनसाधारण जो गांधी-जन्म-शताब्दी में दिलचस्पी रखते हैं, इस सेट के अधिकाधिक प्रचार-प्रसार कार्य में सहायक होंगे ऐसी आशा, अपेक्षा एवं अनुरोध है।”

सर्व सेवा संघ-प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी-१

सम्मेलन-समाचार

आगामी सर्वोदय-सम्मेलन (राजगीर) के अवसर पर 'सम्मेलन-समाचार' दैनिक बुलेटिन प्रकाशित करने की योजना बनायी गयी है। २०" X ३०" काउन् साइज में प्रकाशित होनेवाली ४ पृष्ठों की इस दैनिक बुलेटिन की एजेंसी-कमीशन आदि की जानकारी के लिए सम्पर्क करें :

व्यवस्थापक
पत्रिका-विभाग,
सर्व सेवा संघ प्रकाशन,
राजघाट, वाराणसी-१

एक-तिहाई दतिया जिला

ग्रामदान के अन्तर्गत

इन्दौर से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश गांधी-जन्म-शताब्दी समिति द्वारा २ अक्टूबर, '६९ तक "प्रदेशदान" के घोषित संकल्प की सिद्धि की दिशा में दतिया जिला गांधी-शताब्दी-समिति "दतिया जिलादान" के लिए प्रयत्नशील है। इस उद्देश्य से जिले के गाँवों में विगत दिनों से ग्रामदान-अभियान चलाया जा रहा है। अभियानों के पाँच दौर में अबतक १४० ग्रामदान घोषित हो चुके हैं, अर्थात् एक-तिहाई दतिया जिला ग्रामदान के अन्तर्गत आ चुका है। यह उल्लेखनीय है कि गांधी-शताब्दी के क्षेत्रीय संगठक श्री कल्याणचन्द्र त्रिपाठी के नेतृत्व में गांधी-निधि-के-२० कार्यकर्ता और स्थानीय सेवा-भावी सज्जन अभियान में लगे हुए हैं। शीघ्र ही दतिया-जिलादान घोषित होने की सम्भावना है। (संप्रेत)

देवास जिले में १६८ ग्रामदान

मध्यप्रदेश के देवास जिले की तीन तहसीलों—देवास, खातेगाँव और कन्नौद—में ग्रामदान-प्राप्ति की संख्या १६८ तक पहुँच गयी है। देवास जिला गांधी-शताब्दी समिति की ओर से पिछले दिनों जिले की सभी तहसीलों में एक-एक दिवसीय गांधी-विचार-शिविर आयोजित किये गये थे, जिनमें गांधी-शताब्दी के लिए प्रस्तावित नौ-सूत्री कार्यक्रम पर सविस्तर चर्चा हुई। उसीकी फलश्रुति है कि देवास जिले के इन गाँवों ने ग्रामदान की घोषणा कर ग्रामस्वराज्य की दिशा में कदम बढ़ाने का निश्चय किया है। यह प्रयत्न किया जा रहा है कि गांधी-शताब्दी-वर्ष में जिले के सभी गाँव ग्रामदानो बन जायें।

इन्दौर में आयोजित राष्ट्रीय परिसंवाद

अब नवम्बर या दिसम्बर में होगा

इन्दौर, १७ अगस्त। नगरों में सर्वोच्च-कार्य सम्बन्धी आगामी सितम्बर माह में इन्दौर में आयोजित राष्ट्रीय परिसंवाद अब नवम्बर

या दिसम्बर माह में करने का निश्चय किया गया है। परिसंवाद के अध्यक्ष श्री जयप्रकाश नारायण के "विहारदान" एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में व्यस्तता के कारण तारीखों में परिवर्तन करना पड़ा है।

उक्त परिसंवाद का आयोजन सर्व-सेवा संघ, गांधी शान्ति प्रतिष्ठान, इन्दौर विश्व-विद्यालय, इन्दौर मनेजमेण्ट एसोशिएशन तथा जिला गांधी-शताब्दी समिति के तत्त्वावधान में प्रस्तावित है।

उत्तरप्रदेश में अभियान

• टिहरी जिले के चम्बा ब्लाक में १० ग्रामदान प्राप्त होने की सूचना मिली है।

• सुल्तानपुर जिले के लम्बुआ ब्लाक के २०५ गाँवों में से १७३ ग्रामदान (८६ प्रति-

शत) प्राप्त हुए। इस जिले में २९ जुलाई से ६ अगस्त तक अभियान चलाया गया और प्रखण्डदान घोषित हुआ।

• गाजीपुर जिले से श्री नरेन्द्र मिश्र ने सूचना दी है कि मरवह ब्लाक में २५ जुलाई से ५ अगस्त तक ग्रामदान-अभियान चला। कुल १०५ गाँवों में से ६६ ग्रामदान (६१ प्रतिशत) प्राप्त हुए, मदीरा ब्लाक में ३३ ग्रामदान हुए थे, किन्तु प्रतिशत पूरा न होने से प्रखण्डदान की घोषणा नहीं हुई थी। इस माह में ३ और ग्रामदान हो जाने से ४२ गाँवों में से ३६ ग्रामदान (८६ प्रतिशत) प्राप्त कर प्रखण्डदान की घोषणा हुई।

—कपिल भाई के पत्र से

स्वास्थ्योपयोगी प्राकृतिक चिकित्सा की पुस्तकें

	लेखक	मूल्य	
कुदरती उपचार	महात्मा गांधी	०-८०	
आरोग्य की कुंजी	" "	०-४४	
रामनाम	" "	०-५०	
स्वस्थ रहना हमारा			
जन्मसिद्ध अधिकार है	द्वितीय संस्करण	धर्मचन्द सरावगी	२-००
सरल योगासन	" "	" "	३-००
यह कलकत्ता है	" "	" "	१-००
तन्दुरुस्त रहने के उपाय	प्रथम संस्करण	" "	१-२५
स्वस्थ रहना सीखें	" "	" "	१-००
घरेलू प्राकृतिक चिकित्सा	" "	" "	०-७५
पचास साल बाद	" "	" "	२-००
उपवास से जीवन-रक्षा	अनुवादक	" "	३-००
रोग से रोग-निवारण	स्वामी शिवानन्द		१०-००
Miracles of fruits	G. S. Verma		5-00
Everybody guide to Nature cure	Benjamin		24-30
Diet and Salad	N. W. Walker		15-00
उपवास	शरण प्रसाद		१-२५
प्राकृतिक चिकित्सा-विधि	" "		२-५०
पाचनतंत्र के रोगों की चिकित्सा	" "		२-००
आहार और पोषण	अवेरभाई पटेल		१-५०
वनीषधि शतक	रामनाथ वैद्य		२-५०

इन पुस्तकों के अतिरिक्त देशी-विदेशी लेखकों की भी अनेक पुस्तकें उपलब्ध हैं।

विशेष जानकारी के लिए सूचीपत्र भंगाइए।

एकमे, ८।१, एसप्लानेट ईस्ट, कलकत्ता-१

देवरिया जनपद में ५ प्रखंडदान

देवरिया जनपद के हाटा तहसील में सुकरोली-हाटा-रामकोला-कप्तानगंज और मोतीचक ब्लाक में एक ही साथ ग्रामदान-ग्रामस्वराज्य-अभियान दिनांक ५ जुलाई ६६ से १६ जुलाई ६६ तक चलाया गया। इस अभियान के प्रारम्भ में दो दिन का शिविर श्री गांधी स्मारक इन्टर कालेज हाटा में चला। ७ जुलाई से १६ जुलाई तक उक्त क्षेत्रों के प्रत्येक न्याय-पंचायतों में तीन-तीन कार्यकर्ताओं की टोलिया गांव के प्रत्येक परिवार तक पहुंची और ग्राम-स्वराज्य का सन्देश पहुंचाने का प्रयास किया। फल-स्वरूप सुकरोली-हाटा-रामकोला-मोतीचक और कप्तानगंज ब्लाक के ६० प्रतिशत गांवों ने सामूहिक घोषणा द्वारा हस्ताक्षर करके अपनी सहमति व स्वीकृति प्रदान की। तदनुसार सुकरोली-हाटा-रामकोला और मोतीचक ब्लाक का प्रखंडदान उसी समय घोषित हो गया। कप्तानगंज ब्लाक के शेष गांवों की सहमति भी अब ६० प्रतिशत प्राप्त हो गयी है। इस प्रकार देवरिया जनपद के हाटा तहसील में, रामकोला-कप्तानगंज-मोतीचक, सुकरोली तथा हाटा प्रखंड का प्रखंडदान घोषित हो गया।

अभियान मुख्य रूप से श्री कपिल भाई व श्री शिवकुमार पाण्डेय, मंत्री, क्षेत्र कार्यालय मगहर की प्रेरणा से चलाया गया। पूर्व-संचालन व देखरेख का काम श्री बाबू राम राय, व्यवस्थापक, श्री गांधी ग्राम, उत्पत्ति-केन्द्र, देवरिया द्वारा किया गया था। इस अभियान में श्री गांधी ग्राम देवरिया, गोरखपुर, मगहर, बस्ती, गोण्डा, बहुराइच के लगभग १५० कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस अभियान में गांधी स्मारक इन्टर कालेज के प्रधानाचार्य व शिक्षकों का सहयोग सराहनीय रहा। जिला ग्रामदान-प्राप्ति समिति देवरिया के अध्यक्ष श्री प्रयाग ध्वज सिंह ने

समय-समय पर कार्यकर्ताओं का उत्साह-वर्धन किया। •

जयपुर में ८१ ग्रामदान

श्री फूलचन्द्र अग्रवाल द्वारा प्रेषित तार से प्राप्त सूचनानुसार राजस्थान खादी-विकास मण्डल और राजस्थान खादी संघ के सम्मिलित प्रयत्नों के फलस्वरूप जयपुर जिले के गोविन्द-गढ़ प्रखण्ड के कुल १०२ गांवों में से ८१ गांवों ने ग्रामदान का संकल्प घोषित किया है। •

उज्जैन और इन्दौर में

आचार्य राममूर्ति का कार्यक्रम

राजकोट प्रबन्ध-समिति की बैठक से महाराष्ट्र सर्वोदय-मण्डल के अधिवेशन में भाग लेने के लिए जलगांव जाते हुए रास्ते में ३० और ३१ जुलाई को उज्जैन तथा इन्दौर की शिक्षा-संस्थाओं में आचार्य राममूर्ति के व्याख्यान आयोजित किये गये थे। ३० जुलाई को उज्जैन कालेज के छात्रों तथा शिक्षकों के बीच दो व्याख्यान हुए। उज्जैन स्थित विक्रम विश्वविद्यालय में गांधी-शाताब्दी व्याख्यान-माला के अन्तर्गत '३० जनवरी '४८ के बाद भारत में गांधी' विषय पर आचार्यजी का उद्बोधक भाषण हुआ।

सर्वोदय-साहित्य मण्डल के स्थापना-दिवस ३० जुलाई के अवसर पर इन्दौर नगर में रात को 'भारत में लोकतंत्र और उसके भविष्य' पर व्याख्यान हुआ। ३१ जुलाई को इन्दौर के शिक्षकों के बीच गैर-राजनीतिक शक्ति के रूप में आचार्यकुल के संगठन की आवश्यकता और महत्ता पर विशद विवेचन करते हुए आचार्य राममूर्ति ने कहा कि शिक्षण-संस्थाओं के अनुशासित यानी वासन के पीछे चलनेवाले वातावरण में छात्रों की उन्मुखलता आश्चर्य की चीज नहीं है। आपने कहा कि शिक्षा में व्याप्त उलझी समस्याओं का हल गैर-राजनीतिक स्वायत्त शिक्षण-संस्थाओं के विकास से ही सम्भव है। •

श्री जयप्रकाश नारायण का बिहारदान की संकल्प-पूर्ति के लिए तूफानी दौरा

दिनांक

विवरण

- २२ से २४ अगस्त तक रांची के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा।
- २५ अगस्त : दोपहर में भोजन-विश्राम रांची, सकिट हाउस में, २-३० बजे रांची से माराफारी के लिए प्रस्थान। ५ बजे संघ्या माराफारी में आमसभा।
- " अगस्त : ७ बजे संघ्या में माराफारी से देवघर के लिए कार से प्रस्थान। १३२ मील। देवघर में रात्रि-विश्राम।
- २६ अगस्त : प्रातः ८ बजे देवघर से साहेबगंज के लिए प्रस्थान। साहेबगंज में आमसभा का कार्यक्रम, संघ्या-समय।
- २७ अगस्त : साहेबगंज से प्रातः ५-१० बजे 'अपर इंडिया एक्सप्रेस' से भागलपुर के लिए प्रस्थान और ५-५० बजे भागलपुर पहुंचना। जिलादान-समारोह में भाग लेना। भागलपुर विश्वविद्यालय में सभा। २३-१२ बजे धानापुर फास्ट पॅसिजर ट्रेन से पटना के लिए प्रस्थान।
- २८ अगस्त : ७-३१ बजे प्रातः पटना पहुंचना।
- " अगस्त : पटना से १० बजे आरा के लिए प्रस्थान। ११ बजे आरा पहुंचना। आरा में सभा आदि के कार्यक्रम।

'विनोबा-चिन्तन' (मासिक)

'विनोबा-चिन्तन' प्रति मास प्रकाशित होता है। इसमें लगभग ५० पृष्ठों में किसी एक विषय पर विनोबाजी के समय-समय पर दिये प्रवचन कलात्मक ढंग से संजोये जाते हैं, जो अपने-अपने विषय में एक एक पुस्तक बन जाती है। इसके स्थायी ग्राहक बनकर इस ज्ञानराशि का संग्रह करना प्रत्येक जिज्ञासु एवं ग्रन्थ्यासु के लिए लाभप्रद है।

वार्षिक मूल्य : ६ रु०, एक प्रति : ६० पैसे।

सर्व सेवा संघ प्रकाशन, वाराणसी-१